



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-27.05.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट मे पंजीकृत आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-504/2001 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मु0 लल्लन अली पुत्र मुन्नवर अली निवासी- 23/24 गैस गोदाम टकटकपुर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-27.05.2025 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मु0 लल्लन अली उपरोक्त को अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (05 माह 21 दिन) व 500/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।